

अनुसूची-१६
(वफा ३३ को उपदफा(२) संग सम्बन्धित)

श्री चरिङ्गे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह

सरुमारानी गाउँपालिका वडा नं.-२, प्यूठान
काठ/दाउरा बोलपत्रद्वारा लिलाम बिक्री सम्बन्धीको विस्तृत सूचना
प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मिति २०८३।०१।२३



यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आ.व.०८२/८३ मा समूहको स्वीकृत वन कार्ययोजनाअनुसार कटान मुछान गरि उत्पादन भएका सामुदायिक वनको बेलडाँडा स्कुल टोल (गनाहा) स्थलमा घाटगद्दी गरी राखेको तपसिल बमोजिमका वन पैदावारहरु श्री डिभिजन वन कार्यालय प्यूठानको च.नं.११९९, मिति २०८३।०१।२१ गतेको लिलाम सहमती प्राप्त भएकोले जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा आफ्नै खर्चमा उठाई लैजाने गरी लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। ईच्छुक काठ दाउरामा आधारित उद्योग संचालन गर्न अनुमति प्राप्त गरी संचालनमा रहेका उद्यमी/ काष्ठको कारोवार गर्ने सूचिकृत फर्महरुले यो सूचना मिति २०८३/०१/२३ गते नयाँ युगवोध राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र कार्यालय समयमा यस समूहको कार्यालयमा गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र दाखिला गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ तपसिल

१. लिलाम सम्बन्धि वन पैदावारको विवरण

| लट नं | जात | ग्रेड | गोलिया थान | ईकाई | परिमाण | जम्मा न्यूनतम मुल्य प्रति क्यू फिट रु |
|-------------------------|--------------|-------|------------|----------|---------|---------------------------------------|
| | | | | (घ.फि.) | | |
| १/०८२-०८३ | साल | B | ४ | क्यू.फिट | ५१.११ | ४५९९९ |
| | | C | ६७ | | २३२.५ | १३९५०० |
| | | D | २४ | | ४२.०९ | १२६२७ |
| | असना | | ९५ | | ३२५.७ | १९८१२६ |
| | | A | १० | | १७२.३८ | ६८९५२ |
| | | B | १२ | | १२१.२४ | ३६३७२ |
| | वैदारो/बाँझी | C | २३ | | १६२.१३ | १६२१३ |
| | | | ४५ | | ४५५.७५ | १२१५३७ |
| | | | ६७ | | ३११.३१ | ३११३१ |
| | कर्मा | A | १ | | १७.५२ | ७००८ |
| | | B | ४ | | ३२.३१ | ९६९३ |
| | | C | २ | | ५.२८ | ५२८ |
| | | | ७ | | ५५.११ | १७२२९ |
| | पियार | | २ | | ५.८८ | ५८८ |
| | दवदवे | | ३ | | १३.२६ | १३२६ |
| | सिद्ध | | २ | | ६.४३ | ६४३ |
| | | | २२१ | | ११७३.४ | ३७०५८० |
| | खयर | | ६८५ | | ६६२.३५ | ६६२३५० |
| साल | | | | ३ | ३६००० | |
| मिश्रित साल बाहेक | | | | ६ | २४००० | |
| कुल जम्मा (काठ र दाउरा) | | | | | १०९२९३० | |

ख) खरिद मिति २०८३/०२/१२ कार्यालय समयभित्र

ग) दाखिला मिति २०८३/०२/१३ गते दिनको १.०० बजे

अनुमूची-१६

(दफा ३३ को उपदफा(२) संग सम्बन्धित)

श्री चरिङ्गे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह

सरुमारानी गाउँपालिका वडा नं.-२, प्यूठान

काठ/दाउरा बोलपत्रद्वारा लिलाम बिक्री सम्बन्धीको विस्तृत सूचना

घ) बोलपत्र खोल्ने २०८३/०२/१३ दिनको २.०० बजे
नोट:-



१. बोलपत्र दाखिला गर्ने र खोल्ने दिन सार्वजनिक विदा परेमा विदाको भोलिपल्ट दाखिला र खोलिनेछ।
२. खयर प्रजातिको हकमा न्यूनतम मूल्य १०००/प्रति क्यू.फिट भएतापनि (समुहको निर्णय अनुसार) १२२५/प्रति क्यू.फिट हुनुपर्नेछ।
३. बोलपत्रसाथ कबुल गरेको रकमको १०%(प्रतिशत) ले हुन आउने रकम बोलपत्र खरिद गरेको वन उपभोक्ता समूहको नेपाल बैंक लिमिटेड खलंगा शाखा प्यूठानमा रहेको यस समूहको खाता नं. ०५२००१००७५१९७८०००००१ (CHARINGE SHA. BA. U. SHA.) मा दाखिला गरेको नगद जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर समावेश भएको हुनुपर्नेछ वा बैंक ग्यारेन्टी समावेश गर्न सकिनेछ। अन्यथा बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गरिने छैन।
४. सकारकर्ताले सकार रकममा संकलन खर्च बोलपत्रमा उल्लेख भए वमोजिम थप बुझाउनु पर्नेछ।
५. बोलपत्र दाखिला गर्दा काठ दाउरामा आधारित संचालनमा रहेको उधमको डिभिजन वन कार्यालयमा सूचीदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, वन पैदावार कारोवार दर्ता प्रमाण पत्र, कारोवारको पान/भ्याट दर्ता तथा नविकरण, करचुक्ता प्रमाण पत्र (नार्याको हकमा करचुक्ता नपर्ने) को प्रतिलिपीको साथमा
६. लिलाम वढावढ हुने वन पैदावार कार्यालय समय भित्र घाटगढी स्थलमा गई हेर्न सकिनेछ र सकार कर्ताले मालवस्तु जे जो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा उठाई लैजानु पर्नेछ।
७. रित पूर्वक पर्न आएका, दाखिला भएका बोलपत्रहरू यस उपभोक्ता समूहको कार्यालयमा सब डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी कार्यालयको रोहवरमा खोलिने छ। बोलपत्र खोलिने दिन सकार कर्ताहरू उपस्थित नभए पनि बोलपत्र खोल्ने कार्य रोकिने छैन।
८. खोलिएका बोलपत्रहरू नियम अनुसार मूल्यांकन गरी लिलाम स्वीकृत भई डिभिजन वन कार्यालय प्यूठानबाट समर्थन प्राप्त भए पश्चात सोको जानकारी सम्बन्धित पक्षले सकार रकम, मूल्य अभिवृद्धि कार तथा संकलन खर्च ४५ दिन भित्र दाखिला गरी माल वस्तु उठाई लैजानु पर्ने छ अन्यथा नियम अनुसार हुनेछ।
९. बोलपत्रमा सकार गरिएको रकम अंक र अक्षर दुवैमा लेख्नु पर्ने छ। अंक र अक्षर फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता दिइनेछ।
१०. बोलपत्र सदर वा वदर गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हुनेछ।
११. थप जानकारीको लागि समूहको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सकिने छ।